न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 117 / 2026

संजय कुमार बनाम बिहार सरकार

महिला थाना कांड सं0 01 / 2026

अंतर्गत धारा 64(1) B.N.S.

06.03.2026

अभियुक्त **संजय कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार रस्तोगी तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचिका बर्थडे पार्टी में डांस करने का काम करती है। दिनांक 05.01.26 को काजल दीदी ने कहा कि तुम डांस करने जाओगी तो 2500 रूपया मिलेगा तब वह जाने को तैयार हो गयी। काजल दीदी के कहने पर वह सुरभि हॉस्पीटल के पास पहुंची जहां से दो लड़का उसे मैजिक गाड़ी में बैठा लिया जिसके पीछे ट्रोली में जेनरेटर रखा हुआ था वहां पर उनलोगों ने बोला पैसा बाद में देगे यह करीब 07:30 बजे शाम की घटना है। थोड़ी दूर आगे जाने पर गाड़ी से उतार दिया। उसके बाद एक लड़का आया। उसने खेत में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया उसके बाद मंदिर में ले जाकर मांग में सिंदूर दे दिया। उसके बाद घर ले गया। रात भर उसी घर में रही सुबह टोटो में बैठाकर घर भेज दिया। डेरा में आकर सारी बात काजल दीदी को बताई तो उन्होंने पता किया । उसके लड़के का नाम संजय कुमार है। उसका फोटो भी दिखाया गया । यह वहीं लड़का है जिसने गलत काम किया है। संजय का परवलपुर में दिलीप डी0जे0 है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है एवं उन्हें इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है । आवेदक के द्वारा कोई अपराधकारित नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध उक्त धाराओं का अभियोग बनता प्रतीत नहीं होता है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफतार किए जाने की संभावना है। अतः आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान किया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक / अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा कथन करते हैं कि आवेदक के विरूद्ध सूचिका के साथ बलात्कार करने का आरोप है जो कि गंभीर प्रकृति का है। अतः इनका अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय ।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया और पाया कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। लिखित आवेदन के अनुसार आवेदक के विरूद्ध सूचिका के साथ बलात्कार करने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप है। कांड दैनिकी के पैरा 01 में वादिनी का पुनः बयान है, पैरा 04 में

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 117 / 2026

संजय कुमार बनाम बिहार सरकार

महिला थाना कांड सं0 01 / 2026

अंतर्गत धारा 64(1) B.N.S.

लगातार

06.03.2026

साक्षी सोनाक्षी कुमारी उर्फ काजल का बयान है, जिसने घटना का समर्थन की है । कांड दैनिकी के पैरा 65 में पुलिस अवर अधीक्षक का पर्यवेक्षण टिप्पणी है, जिसमें घटना को सत्य पाया गया है । आवेदक के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का अपराध है । वर्तमान में वाद अन्वेषणाधीन है । ऐसी परिस्थिति में इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः आवेदक संजय कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।